संख्या-140/2017/199/22-2-2017-17(78)/2004

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 14 मार्च, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मनफूल पुत्र श्री भुल्लन, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4064/प्रोबेशन-3/(एम-13-02-2017) दिनांक-13-02-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मनफूल पुत्र श्री भुल्लन, निवासी कन्हाहेड़ी, थाना-चरथावल, जनपद-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। नाली के विवाद तथा घटना से एक दिन पूर्व में ईश्वरचन्द की पत्नी श्रीमती कमलेश ने अभियुक्त राजवीर द्वारा की गयी छेडखानी की शिकायत की थी। उक्त विवाद स्वरूप घटना के दिनांक 26.08.2000 को प्रात: लगभग 06:30 बजे 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ईश्वरचन्द के परिजनों पर हथियारों से लैस होकर हमला किया जिसमें ईश्वरचन्द की पत्नी श्रीमती कमलेश पुत्र सोनू व पिता चोहल सिंह तथा दो सगे भाईयों सुरेश व हरपाल कुल 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-168/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 01.10.2002 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनलअपील सं0-4393/2002 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.10.2003 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी का 01 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त् तथा 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। बन्दी द्वारा दिनांक 09.02.2017 तक 16 वर्ष 05 माह 16 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 02 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 87 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी को जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 04.04.2016 में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने ईश्वरचन्द से नाली के विवाद तथा उसकी पत्नी श्रीमती कमलेश द्वारा की गयी छेडखानी की शिकायत की रंजिश में दिनांक 26.08.2000 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 05 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने 05 बिन्दुओं की आख्या में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, समिति द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मनफूल पुत्र श्री भुल्लन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में क्रिमिनल मिस रिट याचिका सं0-8042/2016 मनफूल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.03.2017 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मनफूल (बन्दी संख्या-7682) पुत्र श्री भुल्लन निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-140/2017/199(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया- 140/2017/199/22-2-2017-17(78)/2004

दिनांक 14 मार्च, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मनफूल पुत्र श्री भुल्लन, निवासी कन्हाहेड़ी, थाना-चरथावल, जनपद-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। नाली के विवाद तथा घटना से एक दिन पूर्व में ईश्वरचन्द की पत्नी श्रीमती कमलेश ने अभियुक्त राजवीर द्वारा की गयी छेडखानी की शिकायत की थी। उक्त विवाद स्वरूप घटना के दिनांक 26.08.2000 को प्रात: लगभग 06:30 बजे 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ईश्वरचन्द के परिजनों पर हथियारों से लैस होकर हमला किया जिसमें ईश्वरचन्द की पत्नी श्रीमती कमलेश पुत्र सोनू व पिता चोहल सिंह तथा दो सगे भाईयों सुरेश व हरपाल कुल 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-168/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 01.10.2002 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनलअपील सं0-4393/2002 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.10.2003 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी का 01 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त् तथा 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। बन्दी द्वारा दिनांक 09.02.2017 तक 16 वर्ष 05 माह 16 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 02 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 87 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी को जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 04.04.2016 में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने ईश्वरचन्द से नाली के विवाद तथा उसकी पत्नी श्रीमती कमलेश द्वारा की गयी छेडखानी की शिकायत की रंजिश में दिनांक 26.08.2000 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 05 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, समिति द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मनफूल पुत्र श्री भुल्लन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in